

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक : 599 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : ^{नवरी} 04, 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 का मुख्य अंश निम्नवत है :-

"8. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) UPPCB (3) CPCB, (4) Department of Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh, (5) Department of Environment, State of Uttar Pradesh, (6) Uttar Pradesh Public Works Department, (7) Ministry of Mines already impleaded as respondents no. 1 to 7 as well as (8) District Magistrate, Banda, (9) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 1), (10) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri. Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 2), (11) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 व 588 (Khand No. 8), (12) M/s Jai Maa Sharda Traders- Shri Ram Milan S/o Shri Ramgopal, Gata No. 587 (Khand No. 1) , (13) Shri Mujibuddin Siddiqui S/o Shri Jamiruddin Siddiqui, Gata No. 501, (14) M/s S R Innovation L L P Pro- Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 07), (15) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 (Khand No. 05), (16) M/s S S Granite Partner Shri Atique Ahmed, Gata No. 309, (17) M/s S R Innovation L L P Pro-Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 02) and (18) M/s Harshit Enterprises Partner Shri Harshit Singh, Gata No. 45, who stand impleaded as respondents No. 8 to 18. The Registry is directed to make appropriate amendments in the memo of parties to the application. Respondent no. 2 and 4 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents no. 1, 3, 5 to 18.

9. Notice be served on respondents no. 9 to 18 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents no. 9 to 18 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

10. Reply/response on behalf of the respondents be filed within 15 days by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

11. List for further consideration on 10.02.2023.

12. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Banda by email for requisite compliance."

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित उपरोक्त ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 द्वारा सम्बन्धित समस्त पट्टाधारको को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारी बाँदा के माध्यम से नोटिस तामिला कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में कार्यालय पत्र सं0-349/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-01) द्वारा ईमेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित खनन पट्टाधारको को सूचित किया गया। उक्त के अतिरिक्त गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations - 13.1 - During the visit the committee found illegal mining pits near the mine lease area of Smt. Amrit Kaur, Gata No. 587 (Khand No.08) and M/s S. S. Granite, Nahari, Gata. The blasting holes were also seen in the lease area of Smt. Amrit



Kaur, Gata No. 587 (Khand No.08) and illegal mining pits situated near it. The aerial distance of the village of the applicant from the area wherein blasting holes are found is at a distance of around 210 m. And the possibility of vibrations due the blasting at nearby houses of villagers cannot be ruled out.

कमेटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-351/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-02) द्वारा खान निरीक्षक, बांदा को प्रश्नगत प्रकरण में हुये अवैध खनन के सम्बन्ध में संलिप्त अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में खान निरीक्षक बांदा द्वारा दिनांक 10.01.2023 को थाना नरैनी (बांदा) में मु०अ०सं०-0003 वर्ष 2023 (संलग्नक-03) दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

2. प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations - 13.2 - A pond in the excavated area near lease of Smt. Jasmit Kaur Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 01) & Smt. Jasmit Kaur Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 02) is existed. It was informed that the said area was excavated during the previous lease period and kept as it is without reclamation. 17.1.4.- The reclamation was not done as per mining completion plan in the previous lease.

कमेटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-348/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-04) द्वारा pond को नियमानुसार reclamation कराने हेतु गाटा सं०-218, खण्ड सं०-01 व 02 के पट्टाधारक श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारिका का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.01.2023 (संलग्नक-05) प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से उल्लिखित है कि "उपरोक्त Reclamation का हम अपना तथ्य रखते हुए यह लिखित में देते हैं कि Pond का निर्माण करीब 10 से 12 वर्ष पूर्व शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत के निर्देशन में किया गया है जिसके कुछ भाग में जानवरों को पानी पीने के लिए पक्का बनाया गया है। Pond के निर्माण और हमारी लीज की स्वीकृति/निष्पादन के कई वर्षों का अन्तर है। Pond का निर्माण पूर्व में हुआ है, जो कि खनन द्वारा नहीं किया गया है। Reclamation में पूर्व व उपरान्त में किसी तरह के फोटोग्राफकी भी आवश्यकता नहीं है।" उक्त के क्रम में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक रहित (संलग्नक-06) ग्राम प्रधान नहरी, वि०ख० नरैनी (बांदा) का भी प्राप्त हुआ, जिसमें भी उल्लिखित है कि "प्रार्थी के ग्राम पंचायत ग्राम-नहरी, तहसील नरैनी के गाटा संख्या 218 के पास बने तालाब का निर्माण करीब 10 से 12 वर्ष पूर्व शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार बनाया गया था, जिसके कुछ भाग में जानवरों को पानी पीने के लिए पक्का बनाया गया है। तालाब के निर्माण और उक्त गाटा संख्या में स्वीकृत खनन पट्टे से कई वर्षों का अन्तर है। तालाब का निर्माण पूर्व में हुआ था, जो कि खनन द्वारा नहीं किया गया है। यदि तालाब का भराव किया जाता है तो ग्रामवासी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा उपरोक्त तालाब से जानवर नहाते हैं व ग्रामवासी भी अपने निजी उपयोग हेतु पानी ले जाते हैं। अतः उपरोक्त तालाब का भराव न कराने की कृपा करें।"

3. प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations - 14- None of the project proponent has either obtained permission or signed MOU for the approach road through village/agriculture land. For some of the mining areas no approach road is available except agricultural land which may be required to be taken on lease, if owner of land gives consent. 17.4- The mining operations should not be allowed without valid permission for the approach roads.

कमेटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-350/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-07) द्वारा समस्त पट्टाधारक (10) को अपने-अपने खनन क्षेत्र से परिवहन मार्ग में पड़ने वाले किसानों की भूमि यदि कोई है, तो उसके सम्बन्ध में किसानों से ली गयी सहमति की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही उपजिलाधिकारी नरैनी को यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत ग्राम नहरी व खलारी में स्थित 10 खनन पट्टों के सम्बन्ध में प्रत्येक खनन पट्टा के परिवहन मार्ग में यदि किसान की कोई भूमि पड़ती है तो पट्टाधारक द्वारा किसान से ली गयी सहमति का परीक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी नरैनी के पत्र सं०-400/आशु० दिनांक 30.01.2023 (संलग्नक-08) द्वारा समस्त 10 खनन पट्टाधारकों द्वारा प्राप्त सहमति का परीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार पट्टाधारक के परिवहन मार्ग में पड़ने वाले मार्ग में ज्यादातर भूमि सरकारी गाटा संख्या है एवं जिन पट्टाधारकों के परिवहन मार्ग में कृषकों की भूमि का उपयोग हो रहा है उन किसानों का सहमति पत्र पट्टाधारक के पास है।

4. प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations – 15- The details of the activities carried out by these mining projects under CSR/CER are not available with mining department. Neither such activities are found at ground during the visit.

कमेटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-320/खनिज-30 बांदा दिनांक 05.01.2023 (संलग्नक-09) द्वारा उपजिलाधिकारी नरैनी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी नरैनी, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा एवं खान अधिकारी/खान निरीक्षक बांदा को ग्राम-नहरी व खलारी के 10 खनन पट्टाधारको द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में CSR/CER/EMP हेतु अंकित धनराशि के सम्बन्ध में पट्टाधारको के साथ बैठक करते हुये कार्य योजना तैयार कर पट्टाधारको से कार्य कराते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 05.01.2023 को ग्राम-नहरी व खलारी स्थित उपरोक्त खनन पट्टेधारको के साथ बैठक करते हुये बैठक का कार्यवृत्त कार्यालय पत्र सं०-352 दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-10) द्वारा निर्गत किया गया। कमेटी द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त के क्रम में नियमानुसार CSR/CER/EMP हेतु अंकित धनराशि के सापेक्ष कार्य कराया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण अलग से संलग्न है। (संलग्नक-11)

5. प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी/Recommendations – 17.2 – The Mining department can be asked to cross verify the quantity of production reported in emm11 form and actual excavation carried out by them. Similarly, the lessees can be asked to install/develop the measuring mechanism at the exit of the lease area.

कमेटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-347/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.01.2023 (संलग्नक-12) द्वारा उपजिलाधिकारी नरैनी, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा व खान अधिकारी/खान निरीक्षक बांदा की संयुक्त टीम का गठन करते हुये पुनः पट्टा क्षेत्रों से उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के खनन का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया। गठित कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.01.2023 (संलग्नक-13) द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें मुख्य रूप से उल्लिखित है कि "कमेटी द्वारा प्रश्नगत 10 खनन पट्टों का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त क्षेत्रों में ज्यादातर भाग में बोल्डर व बड़े-बड़े चट्टान के रूप में मौजूद पत्थरो को तोड़कर ढोका (डायमेशनल बोल्डर) के फार्म में परिवहन करते हुये विक्रय किया जाता है, जिसका सत्यापन परिवहन प्रपत्रों के सापेक्ष होता है।"

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 जिलाधिकारी
 बांदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।


 जिलाधिकारी
 बांदा।

कार्यालय⁹⁷ जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 349 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 7, 2023

खनन पट्टाधारक,

1. श्रीमती जसमीत कौर-2 (गाटा सं0-218 खण्ड-1 व 2), 2. श्रीमती अमरित कौर-2 (गाटा सं0-587, 588, खण्ड-5 व 8), 3. एस0आर0 एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो0 श्री सुरेन्द्र पुनिया-2 (गाटा सं0-587, खण्ड-2 व 7), 4. मे0 जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन (गाटा सं0-587, खण्ड-01), 5. श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी (गाटा सं0-501), 6. मे0 एस0एस0 ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद (गाटा सं0-309), 7. मे0 हर्षित इण्टर प्राइजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह (गाटा सं0-45), खनन पट्टा ग्राम-नहरी व खलारी, जनपद बाँदा।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“8. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) UPPCB (3) CPCB, (4) Department of Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh, (5) Department of Environment, State of Uttar Pradesh, (6) Uttar Pradesh Public Works Department, (7) Ministry of Mines already impleaded as respondents no. 1 to 7 as well as (8) District Magistrate, Banda, (9) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 1), (10) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri. Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 2), (11) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 व 588 (Khand No. 8), (12) M/s Jai Maa Sharda Traders- Shri Ram Milan S/o Shri Ramgopal, Gata No. 587 (Khand No. 1) , (13) Shri Mujibuddin Siddiqui S/o Shri Jamiruddin Siddiqui, Gata No. 501, (14) M/s S R Innovation L L P Pro- Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 07), (15) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 (Khand No. 05), (16) M/s S S Granite Partner Shri Atique Ahmed, Gata No. 309, (17) M/s S R Innovation L L P Pro-Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 02) and (18) M/s Harshit Enterprises Partner Shri Harshit Singh, Gata No. 45, who stand impleaded as respondents No. 8 to 18. The Registry is directed to make appropriate amendments in the memo of parties to the application. Respondent no. 2 and 4 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents no. 1, 3, 5 to 18.

9. Notice be served on respondents no. 9 to 18 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents no. 9 to 18 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

10. Reply/response on behalf of the respondents be filed within 15 days by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

11. List for further consideration on 10.02.2023.

12. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Banda by email for requisite compliance.”

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बन्ध में गा0 न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : रज्जन पाण्डेय का प्रार्थना-पत्र व कमेटी की जांच आख्या की छायाप्रति।


जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, बाँदा।
3. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।


जिलाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 35) / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 7, 2023

खान निरीक्षक,
बाँदा।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी, जिसमें आप सम्मिलित थे, के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच आख्या के बिन्दु सं0-13.1 में आंशिक रूप से उल्लिखित है कि :- "During the visit the committee found illegal mining pits near the mine lease area of Smt. Amrit Kaur, Gata No. 587 (Khand No.08) and M/s S. S. Granite, Nahari."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में हुये अवैध खनन के सम्बन्ध में संलिप्त अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
बाँदा।

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): बाँदा

P.S. (थाना): नरैनी

Year (वर्ष): 2023

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 10/01/2023 19:20

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	379
2	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):Date From
(दिनांक से):Date To
(दिनांक तक):Time Period
(समय अवधि):Time From
(समय से):Time To
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 10/01/2023 Time (समय): 19:07 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 045 Date & Time 10/01/2023 19:07 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 18 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address बहद ग्राम नहरी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री सुखेन्द्र सिंह

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1		
---	--	--

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	जनपद बांदा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	जनपद बांदा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9784945850

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			1. अज्ञात, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, नरैनी। जनपद-बाँदा। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0-351/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.01.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0न0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी, जिसमें अद्योहस्ताक्षरी भी सम्मिलित था, के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच आख्या के बिन्दु सं0-13.1 में आंशिक रूप से उल्लिखित है कि During the visit the committee found illegal mining pits near the lease area of Smt. Amrit Kaur, Gata No. (Khand No. 08) and M/s Granite, Nahari के सम्बन्ध में अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की निर्देश दिये गये है। अतः उपरोक्त प्रकरण ग्राम- नहरी में हुये अवैध खनन के सम्बन्ध में संलिप्त अज्ञात अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली -2021 के नियम- 3,58,72 व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम -1957 की धारा- 4/21 व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। दिनांक (सुखेन्द्र सिंह) खान निरीक्षक बाँदा। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय सुखेन्द्र सिंह नोट - मुकदमे की कायमी व तहरीर हे0मु0 कमल सिंह पी0एन0ओ0 न0 882390132 द्वारा शब्द व शब्द बोल-बोलकर कम्प्यूटर में अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) MANOJ KUMAR Rank I (Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): SHUKLA (पद):

No. 012440069 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. District
(थाना): (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

- 14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):
- 15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge.
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS NARAINI
Rank I (Inspector)
No. 9454403046

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 348 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 7, 2023

श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा
पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा
निवासी-नेहरू वार्ड, अलका टाकीज के पास,
तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम-नहरी के गाटा सं0-218 (खण्ड सं0-01) रकबा 2.00 हे0 व गाटा सं0-218 (खण्ड सं0-02) रकबा 2.00 हे0 भूक्षेत्र में गिट्टी/पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 08.01.2020 से 07.01.2030 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच आख्या के बिन्दु सं0-13.2 में उल्लिखित है कि :- A pond in the excavated area near lease of Smt. Jasmit Kaur Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 01) & Smt. Jasmit Kaur Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 02) is existed. It was informed that the said area was excavated during the previous lease period and kept as it is without reclamation.

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के पास बने pond को नियमानुसार reclamation कराना सुनिश्चित करें। साथ ही reclamation के पहले एवं reclamation के उपरान्त फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाँदा।
2. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
3. खान अधिकारी, बाँदा।

जिलाधिकारी
बाँदा।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

(खनिज अनुभाग)

बांदा जनपद बांदा (उ०प्र०)

महोदय आपके पत्रांक सं० 348/खनिज-30, बांदा में जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा निवासी नेहरू वार्ड अल्का टाकीज के पास पिपरिया जिला हीशंगाबाद म०प्र०, आपके जनपद बांदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम नहरी के गाटा सं० 218-खण्ड 01 रकबा 2 हे०, व गाटा सं० 218 खण्ड सं० 02 रकबा 2 हे० मूक्षेत्र में गिट्टी/पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 08.01.2020 से 07.01.2030 स्वीकृत/निष्पादित है। माननीय राष्ट्रीय न्याधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच के बिन्दु सं० 13.2 में उल्लिखित है कि A pond in the excavated area near lease of Smt. Jashmit Kaur Malhotra Gata No. 218 (Khand No. 01) & Smt Jashmit Kaur Malhotra Gata No. 218 (Khand No. 02) is existed. It was informed that the said area was excavated during the previous lease period and kept as it is without Reclamation.

उपरोक्त Reclamation का हम अपना तथ्य रखते हुए यह लिखित में देते है कि Pond का निर्माण करीब 10 से 12 वर्ष पूर्व शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत के निर्देशन में किया गया है जिसके कुछ भाग में जानवरों को पानी पीने के लिए पक्का बनाया गया है। Pond के निर्माण और हमारी लीज की स्वीकृति/निष्पादन मे कई वर्षों का अन्तर है। Pond का निर्माण पूर्व में हुआ है, जो कि खनन द्वारा नहीं किया गया है। Reclamation में पूर्व व उपरांत में किसी तरह के फोटोग्राफकी भी आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 27.01.2023

प्रार्थी
Jashmit Kaur Malhotra
जसमीत कौर मल्होत्रा

शेरा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदया,
बौदा।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी के ग्राम पंचायत ग्राम-नहरी, तहसील नरैनी के गाँव संख्या 218 के पास बने तालाब का निर्माण करीब 10 से 12 वर्ष पूर्व शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार बनाया गया था, जिसके कुछ भाग में जानवरों को पानी पीने के लिए पक्का बनाया गया है। तालाब के निर्माण और उचित गाँव संख्या में स्वीकृत खनन पट्टे से कई वर्षों का अन्तर है। तालाब का निर्माण पूर्व में हुआ था, जो कि खनन द्वारा नहीं किया गया है। यदि तालाब का भराव किया जाता है तो ग्रामवासी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा उपरोक्त तालाब से जहाँवर नहाते हैं व ग्रामवासी भी अपने निजी उपयोग हेतु पानी ले जाते हैं।

अतः उपरोक्त तालाब का भराव न कराने की कृपा करें।

दिनांक :-

— श्री प्रार्थी
प्रधान
ग्राम पंचायत-नहरी
पि० सं०-नरैनी (बौदा),

प्रार्थी

कार्यालय 108
जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 350 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 7, 2023

समस्त पट्टाधारक, गिट्टी/पत्थर,
ग्राम-नहरी व खलारी, जिला बाँदा।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच आख्या के बिन्दु सं0-14 व 17.1.4 में निम्नवत उल्लिखित है :-

14. None of the project proponent has either obtained permission or signed MOU for the approach road through village/agriculture land. For some of the mining areas no approach road is available except agricultural land which may be required to be taken on lease, if owner of land gives consent.

17.1.4. The reclamation was not done as per mining completion plan in the previous lease.

अतः आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने खनन क्षेत्र से परिवहन मार्ग में पडने वाले किसानो की भूमि यदि कोई है, तो उसके सम्बन्ध में किसानो से ली गयी सहमति की प्रति कार्यालय में तीन दिवसो के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
बाँदा।
१८

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : उपजिलाधिकारी, नरैनी को प्रश्नगत ग्राम-नहरी व खलारी के 10 खनन पट्टो की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रत्येक खनन पट्टा के परिवहन मार्ग में यदि किसान की कोई भूमि पड़ती है, तो उसकी आख्या तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
बाँदा।
१८

पत्रांक 400

/आशु0

दिनांक:- 30 जनवरी, 2023

प्रभारी अधिकारी खनिज,
बाँदा।

कृपया अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पत्थर/बोल्डर के निम्न विवरणानुसार खनन पट्टाधारकों द्वारा जिलाधिकारी महोदया बाँदा के पत्रांक- 350/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.01.2023 के क्रम में अपने-अपने पत्र प्रस्तुत किये गये। तत्क्रम में प्रकरण पर तहसीलदार नरैनी से जाँच करायी गयी। तहसीलदार नरैनी द्वारा जाँचोपरान्त विन्दुवार निम्नवत् आख्या प्रस्तुत की गयी है:-

- 1- पट्टाधारक अमृत कौर मल्होत्रा नेहरू वार्ड पिपरिया होशंगाबाद म0प्र0 का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 587 व 588 में खण्ड संख्या 8 व 5 स्वीकृत एवं संचालित है तथा खनन स्थल तक पहुँचने हेतु रास्ते के रूप में दर्ज गाटा संख्या 566 व 568 पर पक्का मार्ग बना हुआ है।
- 2- पट्टाधारक मे0 एस0आर0 इनोवेशन एल0एल0पी0, गुडगांव हरियाण का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 587 में खण्ड संख्या 2 व 7 स्वीकृत एवं संचालित है तथा खनन स्थल तक पहुँचने हेतु रास्ते के रूप में दर्ज गाटा संख्या 566 व 568 पर पक्का मार्ग बना हुआ है।
- 3- पट्टाधारक जसमित कौर मल्होत्रा, नेहरू वार्ड-13 पिपरिया म0प्र0 का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 218 में खण्ड संख्या 1 व 2 स्वीकृत एवं संचालित है तथा खनन स्थल तक पहुँचने हेतु सरकारी रास्ता अभिलेखों में नहीं है। खनन स्थल तक पहुँचने हेतु भूमिधर गाटा संख्या 212, 215 व 216 से रास्ता बना हुआ है। उपरोक्त गाटो से सम्बन्धित कृषको के सहमति पत्र संलग्न है।
- 4- पट्टाधारक मे0 एस0एस0 ग्रेनाइट विवेक नगर कबरई महोबा का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 309 में स्वीकृत एवं संचालित है तथा खनन स्थल तक पहुँचने हेतु रास्ते के रूप में दर्ज गाटा संख्या 309 में रास्ता बना हुआ है।
- 5- पट्टाधारक हर्षित इण्टर प्राइजेज कालूकुआ बाँदा का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा खलारी के गाटा संख्या 45 में स्वीकृत है। खनन स्थल तक पहुँचने हेतु भूमिधर गाटा संख्या 37, 41 व 43 से रास्ता बना हुआ है। गाटा संख्या 41 व 43 के कृषको का सहमति पत्र संलग्न है तथा गाटा संख्या 37 के कृषक बट्टी पुत्र रामकृपाल आदि निवासी गाजीपुर अंश खलारी का सहमति पत्र संलग्न नहीं है (संलग्नक- खतौनी गाटा संख्या 37)।
- 6- मुजीबुद्दीन सिद्दीकी खैपर थाना कोतवाली नगर बाँदा का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 501 में स्वीकृत है। खनन स्थल तक पहुँचने हेतु रास्ते की भूमि गाटा संख्या 455, चकमार्ग के गाटा संख्या 517, 515 व 505 से कच्चा रास्ता है व गाटा संख्या 1199 काश्तकार की भूमि से रास्ता बना है, किन्तु काश्तकार का सहमति पत्र नहीं लगा है।
- 7- मे0जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राममिलन पुत्र रामगोपाल नि0गोंडा थाना भरतकूप, तहसील कर्षी जनपद चित्रकूट का पत्थर/बोल्डर का खनन पट्टा मौजा नहरी के गाटा संख्या 587 के खण्ड 1 में स्वीकृत है। खनन स्थल तक पहुँचने हेतु रास्ते की भूमि गाटा संख्या 566 व 568 पर पक्की सड़क बनी हुई है।

उपरोक्तानुसार तहसीलदार नरैनी द्वारा प्रस्तुत आख्या मूलरूप से संलग्न कर

सादर सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



(रजत वर्मा)
उप जिलाधिकारी,
नरैनी।

110

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 320 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 05, 2023

1. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
3. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में गठित संयुक्त कमेटी के द्वारा दिनांक 20.09.2022 व 15.11.2022 को जांच कर प्रस्तुत जांच आख्या के बिन्दु सं०-15 में उल्लिखित है कि :- The details of the activities carried out by these mining projects under CSR/CER are not available with mining department. Neither such activities are found at ground during the visit.

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित ग्राम-नहरी व खलारी के 10 खनन पट्टे के पट्टाधारको द्वारा CSR/CER/EMP के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी नरैनी की अध्यक्षता में दिनांक 5-01-2023 को समय 12:00 बजे स्थान कार्यालय उपजिलाधिकारी नरैनी सभागार में बैठक आहूत की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि को समस्त पट्टाधारको के साथ बैठक कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में CSR/CER/EMP हेतु अंकित धनराशि के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर पट्टाधारको से कार्य कराते हुये आख्या अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : समस्त पट्टाधारक गिट्टी/पत्थर, ग्राम-नहरी व खलारी, जनपद बाँदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्धारित दिनांक/समय/स्थान पर उपस्थित होकर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
बाँदा।

111

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के क्रम में ग्राम-नहरी व खलारी स्थित उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के 10 खनन पट्टो के सापेक्ष CER/EMP (CSR) के अनुसार कार्य कराये जाने सम्बन्धी दिनांक 05.01.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

1. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बांदा।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी।
5. एम0ओ0आई0सी0, नरैनी।
6. समस्त पट्टाधारक गिट्टी/बोल्डर, खनन क्षेत्र नहरी व खलारी (10)

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के क्रम में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु सं0-15 में निम्नलिखित उल्लेख है :-

“The details of the activities carried out by these mining projects under CSR/CER are not available with mining department. Neither such activities are found at ground during the visit.”

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, महोदया द्वारा अपने पत्र सं0-320/खनिज-30 बांदा दिनांक 05.01.2023 के द्वारा उपजिलाधिकारी नरैनी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी नरैनी, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा, खान अधिकारी/खान निरीक्षक बांदा की समिति गठित करते हुये दिनांक 05.01.2023 को प्रश्नगत क्षेत्र के समस्त खनन पट्टाधारको के साथ बैठक कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में CSR/CER/EMP हेतु अंकित धनराशि के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर पट्टाधारको से कार्य कराते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।


जिलाधिकारी महोदया के उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 05.01.2023 को समय पूर्वान्ह 12:00 बजे उपजिलाधिकारी नरैनी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा समस्त पट्टाधारको के साथ बैठक की गयी। बैठक में अध्यक्ष उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी एवं एम0ओ0आई0सी0, नरैनी को विशेष रूप से बैठक में बुलाते हुये खनन क्षेत्र के आस-पास संचालित विद्यालय/सी0एस0सी0 में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कार्य, जिसके लिये सम्बन्धित विभाग या अन्य विभाग द्वारा कोई बजट/धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, को कराये जाने हेतु उनसे/पट्टाधारको से विस्तृत चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के सम्बन्धित खनन क्षेत्र हेतु प्राप्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में CER/EMP हेतु अंकित धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	पट्टेदार का नाम व पत्ता	ताहरील / प्राग	गाटा सं०/रकमा (हे० मी)	पट्टे की अवधि	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र दिनांक	Proposed CER cost	Proposed EMP cost	कुल धनराशि (8+9)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा	नरैनी/ नहरी	210 (खण्ड सं०-1) 2.00 हे०	08.01.20 से 03.01.30	26.08.19	1.30 लाख	10.65 लाख	11.95 लाख
2.	श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा	नरैनी/ नहरी	210 (खण्ड सं०-2) 2.00 हे०	08.01.20 से 03.01.30	26.08.19	1.30 लाख	10.65 लाख	11.95 लाख
3.	श्रीमती अमरित कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा	नरैनी/ नहरी	587 व 588 (खण्ड सं०-8) 2.00 हे०	22.10.20 से 21.10.30	26.08.20	1.30 लाख	9.35 लाख	10.65 लाख
4.	मे० जय मा शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन पुत्र श्री रामगोपाल	नरैनी/ नहरी	587 (खण्ड सं०-1) 0.80 हे०	09.11.20 से 08.11.30	28.09.20	1.28 लाख	10.25 लाख	11.53 लाख
5.	श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी	नरैनी/ नहरी	501 1.21 हे०	26.11.20 से 25.11.30	10.09.20	158295	6100000	6258295
6.	एस०आर० एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो० श्री सुरेन्द्र पुनिया	नरैनी/ नहरी	587 (खण्ड सं०-07) 2.00 हे०	18.12.20 से 17.12.30	11.08.20	1.30 लाख	11.61 लाख	12.91 लाख
7.	श्रीमती अमरित कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा	नरैनी/ नहरी	587 (खण्ड सं०-05) 2.00 हे०	15.01.21 से 14.01.31	11.08.20	1.30 लाख	10.65 लाख	11.95 लाख
8.	मे० एस०एस० ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद	नरैनी/ नहरी	309 3.25 हे०	12.01.21 से 11.01.31	13.05.20	1.36 लाख	13.00 लाख	14.36 लाख
9.	एस०आर० एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो० श्री सुरेन्द्र पुनिया	नरैनी/ नहरी	587 (खण्ड सं०-02) 0.80 हे०	05.04.21 से 04.04.31	15.01.21	1.25 लाख	8.10 लाख	9.35 लाख
10.	मे० हर्षित इण्टर प्राइजेंज पार्टनर श्री हर्षित सिंह	नरैनी/ खलारी	45 3.68 हे०	08.01.21 से 07.01.31	11.08.20	1.35 लाख	15.00 लाख	16.35 लाख

नोट :- क्र०सं०-05 में अंकित खनन पट्टा क्षेत्र हेतु CER/EMP में अंकित धनराशि में Project cost अंकित किया गया है।

- समस्त खनन पट्टाधारक उपरोक्तानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में अंकित CER/EMP की धनराशि के सापेक्ष विकास/पर्यावरण से सम्बन्धित कार्य कराने हेतु एक मत से सहमत हुये हैं। क्रम सं०-04 व 07 पर अंकित खनन पट्टा से सम्बन्धित खनन पट्टाधारको द्वारा अवगत कराया गया कि उनका खनन पट्टा अवैध खनन के आरोप में बंद किया गया है।
- उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा से CER/EMP से कराये जाने योग्य कार्यों के सम्बन्ध में समिति व पट्टाधारको को जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा अवगत कराया गया कि CER में अंकित


धनराशि के सापेक्ष खनन पट्टों के आस-पास विकास कार्य (यथा स्कूलों में फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, आर0ओ0, टायलेट व अन्य कार्य, सरकारी अस्पतालों के हेल्थ फैलेस्टी को मजबूत बनाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य के अतिरिक्त जनमानस हेतु विकास एवं जनसामाजिक कार्य) एवं EMP में अंकित धनराशि के सापेक्ष Environmental restoration से सम्बन्धित कार्य (यथा पानी का छिड़काव, श्रमिक हेतु विश्राम कक्ष, पेड़ व पौधा लगाना एवं अन्य कार्य) कराये जा सकते हैं।

4. समिति द्वारा उपरोक्त के क्रम में बैठक में मौजूद खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी से खनन क्षेत्र ग्राम-नहरी व खलारी के सन्निकट परिषदीय विद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि आज ही समिति व पट्टाधारकों को संचालित परिषदीय विद्यालय जहां पर कार्य CER के सापेक्ष कराये जा सकते हैं, का स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा एवं पट्टाधारक से सहमति के आधार पर उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी द्वारा उक्त के उपरान्त कार्यालय पत्र सं0-543-44/2022-23 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि पट्टाधारकों की सहमति से 13 विद्यालयों हेतु ऐसे कार्य, जो उपलब्ध करायी गयी तालिका में "असंतुप्त" के रूप में दर्ज हैं, को कराया जाना है, को कराये जाने हेतु पट्टाधारक सहमत हैं, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	Udise Code	कार्य कराये जाने वाले आवंटित पट्टेधारक का नाम
1	2	3	4	5
1.	Bajrang purwa Nahari (PS)	नहरी	09400401203	श्रीमती जसमीत कौर
2.	Bhawanipur (Nahri) (PS)	खलारी	09400404907	श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी
3.	Diwalipurwa (PS)	नहरी	09400404607	श्रीमती जसमीत कौर
4.	Gazipur (composite)	खलारी	09400404904	मे0 जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन
5.	Kachhiyanpurwa (PS)	नहरी	09400404606	श्रीमती अमरित कौर
6.	Kanya Nahari (composite)	नहरी	09400404602	एस0आर0 एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो0 श्री सुरेन्द्र पुनिया
7.	Khalari (PS)	खलारी	09400404903	मे0 जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन
8.	Maharani (PS)	नहरी	09400404604	मे0 एस0एस0 ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद
9.	Makhanpur (composite)	खलारी	09400404905	मे0 हर्षित इण्टर प्राइजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह
10.	Mohanpur (PS)	खलारी	09400404905	मे0 हर्षित इण्टर प्राइजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह
11.	Nahari (UPS)	नहरी	09400404605	मे0 एस0एस0 ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद
12.	Udaipurwa (PS)	नहरी	09400404603	श्रीमती अमरित कौर
13.	Akelwa (PS)	पुकारी	09400404202	एस0आर0 एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो0 श्री सुरेन्द्र पुनिया

5. समिति द्वारा MOIC नरैनी से उनके सी0एस0सी0 में कराये जाने योग्य कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सी0एस0सी0 का पूर्ण निरीक्षण पट्टाधारको के साथ करलें एवं जो कार्य नियमानुसार कराये जा सकते हैं, उनकी सूची पट्टाधारको की सहमति से तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराये।
6. समिति द्वारा दूरभाष के माध्यम से प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा से खनन क्षेत्र के आस-पास पेड़-पौधों को लगाये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी बांदा द्वारा यह अवगत कराया गया कि पौधों के बीजों के निर्माण हेतु कुछ लागत उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास पट्टाधारको द्वारा स्वयं पौधों लगाये जा सकते हैं। उक्त के क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी बांदा से अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत खनन पट्टे के आस-पास कोई ऐसा स्थल चिन्हित है, जहां पौधों को लगाया जा सकता है, कि सूची नियमानुसार उपलब्ध कराये, जिससे कि पट्टाधारको द्वारा पर्यावरण Environmental restoration के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
7. उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा समिति के सदस्य क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा से अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के आस-पास पर्यावरण Environmental restoration हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त नियमानुसार कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराये, जिससे की EMP में अंकित धनराशि के सापेक्ष कार्य कराया जा सके।

उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा उपरोक्तानुसार बैठक का समापन सधन्यवाद ज्ञापन करते हुये किया गया।


खनन अधिकारी
बांदा।


क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बांदा।


उपजिलाधिकारी
नरैनी।

पत्रांक : 352 /

दिनांक : जनवरी 7, 2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बांदा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खनिज, बांदा।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
7. खान अधिकारी, बांदा।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी।
9. एम0ओ0आई0सी0, नरैनी।
10. समस्त पट्टाधारक गिट्टी/बोल्डर, खनन क्षेत्र नहरी व खलारी (10), जनपद बांदा को अनुपालनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी
नरैनी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के अनुपालन में गठित टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का बिन्दु संख्या 15 निम्नवत है :-

15- The details of the activities carried out by these mining projects under CSR/CER are not available with mining department. Neither such activities are found at ground during the visit.

जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं०-320/खनिज-30 बांदा दिनांक 05.01.2023 द्वारा उपजिलाधिकारी नरैनी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी नरैनी, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा एवं खान अधिकारी/खान निरीक्षक बांदा को ग्राम-नहरी व खलारी के 10 खनन पट्टाधारको द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में CSR/CER/EMP हेतु अंकित धनराशि के सम्बन्ध में पट्टाधारको के साथ बैठक करते हुये कार्य योजना तैयार कर पट्टाधारको से कार्य कराते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 05.01.2023 को ग्राम-नहरी व खलारी स्थित उपरोक्त खनन पट्टाधारको के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



उक्त बैठक के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी नरैनी के कार्यालय पत्र सं०-352 दिनांक 07.01.2023 द्वारा कार्यवृत्त निर्गत किया गया, जिसका बिन्दुवार मुख्य तथ्य निम्नवत है :-

- (2). समस्त खनन पट्टाधारक उपरोक्तानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में अंकित CER/EMP की धनराशि के सापेक्ष विकास/पर्यावरण से सम्बन्धित कार्य कराने हेतु एक मत से सहमत हुये है।
- (3). उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा से CER/EMP से कराये जाने योग्य कार्यों के सम्बन्ध में समिति व पट्टाधारको को जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा अवगत कराया गया कि CER में अंकित धनराशि के सापेक्ष खनन पट्टो के आस-पास विकास कार्य (यथा स्कूलों में फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, आर०ओ०, टायलेट व अन्य कार्य, सरकारी अस्पतालो के हेल्थ फैलेस्टी को मजबूत बनाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य के अतिरिक्त जनमानस हेतु विकास एवं जनसामाजिक कार्य) एवं EMP में अंकित धनराशि के सापेक्ष Environmental restoration से सम्बन्धित कार्य (यथा पानी का छिड़काव, श्रमिक हेतु विश्राम कक्ष, पेड़ व पौधा लगाना एवं अन्य कार्य) कराये जा सकते है।
- (4). समिति द्वारा उपरोक्त के क्रम में बैठक में मौजूद खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी से खनन क्षेत्र ग्राम-नहरी व खलारी के सन्निकट परिषदीय विद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि आज ही समिति व पट्टाधारको को संचालित परिषदीय विद्यालय जहां पर कार्य CER के सापेक्ष

(2)

कराये जा सकते हैं, का स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा एवं पट्टाधारक से सहमति के आधार पर उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी द्वारा उक्त के उपरान्त कार्यालय पत्र सं०-543-44/2022-23 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि पट्टाधारको की सहमति से 13 विद्यालयों हेतु ऐसे कार्य, जो उपलब्ध करायी गयी तालिका में "असंतुप्त" के रूप में दर्ज हैं, को कराया जाना है, को कराये जाने हेतु पट्टाधारक सहमत हैं, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	Udise Code	कार्य कराये जाने वाले आवंटित पट्टाधारक का नाम
1	2	3	4	5
1.	Bajrang purwa Nahari (PS)	नहरी	09400401203	श्रीमती जसमीत कौर
2.	Bhawanipur (Nahri) (PS)	खलारी	09400404907	श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी
3.	Diwalipurwa (PS)	नहरी	09400404607	श्रीमती जसमीत कौर
4.	Gazipur (composite)	खलारी	09400404904	मे० जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन
5.	Kachhiyanpurwa (PS)	नहरी	09400404606	श्रीमती अमरित कौर
6.	Kanya Nahari (composite)	नहरी	09400404602	एस०आर० एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो० श्री सुरेन्द्र पुनिया
7.	Khalari (PS)	खलारी	09400404903	मे० जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन
8.	Maharani (PS)	नहरी	09400404604	मे० एस०एस० ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद
9.	Makhanpur (composite)	खलारी	09400404905	मे० हर्षित इण्टर प्राइजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह
10.	Mohanpur (PS)	खलारी	09400404905	मे० हर्षित इण्टर प्राइजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह
11.	Nahari (UPS)	नहरी	09400404605	मे० एस०एस० ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद
12.	Udaipurwa (PS)	नहरी	09400404603	श्रीमती अमरित कौर
13.	Akelwa (PS)	पुकारी	09400404202	एस०आर० एनोवेशन एल.एल.पी. प्रो० श्री सुरेन्द्र पुनिया

- (5). समिति द्वारा MOIC नरैनी से उनके सी०एस०सी० में कराये जाने योग्य कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सी०एस०सी० का पूर्ण निरीक्षण पट्टाधारको के साथ करलें एवं जो कार्य नियमानुसार कराये जा सकते हैं, उनकी सूची पट्टाधारको की सहमति से तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराये।
- (6). समिति द्वारा दूरभाष के माध्यम से प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा से खनन क्षेत्र के आस-पास पेड़-पौधों को लगाये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी बांदा द्वारा यह अवगत कराया गया कि पौधों के बीजों के निर्माण हेतु कुछ लागत उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास पट्टाधारको द्वारा स्वयं पौधों लगाये जा सकते हैं। उक्त के क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी बांदा से अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत खनन पट्टे के आस-पास कोई ऐसा स्थल चिन्हित है, जहां पौधों को लगाया जा सकता है, कि सूची नियमानुसार उपलब्ध कराये, जिससे कि पट्टाधारको द्वारा पर्यावरण Environmental restoration के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
- (7). उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा समिति के सदस्य क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा से अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के आस-पास पर्यावरण Environmental restoration हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त नियमानुसार कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराये, जिससे की EMP में अंकित धनराशि के सापेक्ष कार्य कराया जा सके।"

(3)

कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2023 में उल्लिखित तथ्यों का अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :-

1. सर्व प्रथम पट्टाधारको द्वारा CSR/CER/EMP के माध्यम से चिन्हित विद्यालयों में कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरैनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.01.2023 के माध्यम से आख्या प्रेषित की गयी, जिसके अनुसार चयनित 13 विद्यालयों में से 03 विद्यालयों में कार्य प्रारम्भ हो गया है, शेष अन्य विद्यालयों में भी नियमानुसार कार्य पूर्ण किया जायेगा।
2. प्रथम चरण में विद्यालय में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त द्वितीय चरण में खनन क्षेत्र के निकट स्थित सामुदायिक केन्द्र नरैनी में भी कायाकल्प का कार्य कराया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	कार्य/इण्डिकेटर्स	ईकाई लागत	टिप्पणी
1	चहारदीवारी निर्माण	2500 प्रति रनिंग मीटर	-
2	पुरुषों हेतु शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण	0.95 लाख में	नवीन अतिरिक्त पुरुष शौचालय 02 मूत्रालय के साथ
3	महिलाओं हेतु शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण	0.95 लाख में	नवीन अतिरिक्त महिला शौचालय 02 मूत्रालय के साथ
4	मरीजों के बैठने हेतु सीमेंटेड कुर्सी	0.24 लाख में	एक साथ चार मरीजों के बैठने हेतु

3. तीसरे चरण में वृक्षारोपण का कार्य कराना है, जिसके लिये उपजिलाधिकारी नरैनी के पत्र दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से ग्राम-भवई का गाटा सं०-52मि रकबा 0.522 हे० को चिन्हित किया गया है। उक्त चिन्हित गाटा पर नियमानुसार प्रभागीय वन अधिकारी बांदा के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा।

प्रथम चरण में विद्यालयों में कराये जा रहे कार्यों सम्बन्धित फोटोग्राफ -





(5)







(8)




खास अधिकारी
बाँदा)


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बाँदा

123

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 347 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 7, 2023

"आदेश"

ओ0ए0 नं0-193/2022, रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मान्नीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0-1884/खनिज-30 बाँदा दिनांक 30.07.2022 व पत्र सं0-2374/खनिज-30 बाँदा दिनांक 08.09.2022 द्वारा श्री रज्जन पाण्डेय शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.02.2022 में उल्लिखित ग्राम-नहरी व खलारी में गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत खनन पट्टो की जांच हेतु टीम का गठन किया गया था।

गठित समिति द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या दिनांक 09.12.2022 प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त संयुक्त जांच आख्या के बिन्दु सं0-17.2 में निम्नवत उल्लिखित है :-

"17.2. The Mining department can be asked to cross verify the quantity of production reported in emm11 form and actual excavation carried out by them. Similarly, the lessees can be asked to install/develop the measuring mechanism at the exit of the lease area."

उपरोक्त बिन्दु की जांच हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :-

1. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
3. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।

अतः गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दु की जांच कर संयुक्त जांच आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

जिलाधिकारी,

बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाँदा।
2. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।

जिलाधिकारी,

बाँदा।

124

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 440 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी/19, 2023

संयुक्त जांच आख्या


सेवा में,


जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी बाँदा के पत्र सं0-347/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.01.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या के बिन्दु सं0-17.2 के सम्बन्ध में ग्राम-नहरी व खलारी में गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत 10 खनन पट्टों की जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। कमेटी द्वारा प्रश्नगत 10 खनन पट्टों का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त क्षेत्रों में ज्यादातर भाग में बोल्टर व बड़े-बड़े चट्टान के रूप में मौजूद पत्थरों को तोड़कर ढोका (डायमेशनल बोल्टर) के फार्म में परिवहन करते हुये विक्रय किया जाता है, जिसकी मात्रा निर्गत परिवहन प्रपत्रों के लगभग समतुल्य है।

वांछित आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


खान निरीक्षक
बाँदा।


खान अधिकारी
बाँदा।


क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।


उपजिलाधिकारी
नरैनी।